न्यायालय सहायक जिलाधीश ओसिया जिला जोधपुर

पीठासिन अधिकारी रतनलाल रेगर आर ए एस

राजस्व मूल वाद संख्या 69/2003

वादी – खेराजराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम मतोड़ा तहसील मतोड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण–

01. मल्लूराम पुत्र किसनाराम
02. खेराजराम पुत्र किसनाराम फौत
    2/1 गणपतराम पुत्र खेराजराम
    2/2 पपाराम पुत्र खेराज राम
03. हरींगाराम पुत्र सदाराम
04. धनाराम पु मंगलाराम
05. बखताराम पुत्र मंगलाराम
06. रूकमा बेवा पुरखा (फोत)
    सभी जाति जाट निवासी ग्राम मतोड़ा
07. अणदाराम पुत्र लाखाराम
08. हीराराम पुत्र लाखाराम
09. हेमाराम पुत्र लाखाराम
10. पूनाराम पुत्र लाखाराम
11. वीरमाराम पुत्र लाखाराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम मतोड़ा तहसील मतोड़ा जिला जोधपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मतोड़ा

वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय [illegible] 21.10.2019

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के तथ्य इस [illegible] वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत [illegible] किया कि ग्राम

Scanned by CamScanner

मतोड़ा में वादी एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी के खेत खसरासं.या 501 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा खसरा संख्या 24 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 511 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 528 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा खसरा संख 531 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा इसी प्रकार ग्राम लाखेटा में वादी एवं प्रतिवादीगा के सह खातेदारी के खसरा संख्या 317 रकबा 89 बीघा 04 बिस्वा ख्सरा संख्या 316 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 07 कुल रकबा 180 बीघा 11 बिस्वा आया हुआ है जिसमें वादी का 1/3 हिस्से अनुसार 60 बीघा 03 बिस्वा भूमि बंट मे आती जो राजस्व रेकेर्ड मे दर्ज है। वादी ने वाद पत्र में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का आपसी सहमति से वाद प्रस्तुत करने के दस वर्ष पहले बंटवाड़ा हो चुका था लेकिन राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज हैं पूर्व में हुए बंटवाड़ा अनुसार वादी के हिस्से में खसरा संख्या 316 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा खसरा संख्या 317 के पश्चिम का 39 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा संख्या 606 के पश्चिम के 05 बीघा रखी गई। वादी ने वाद पत्र के अन्त में निवेदन किया कि पूर्व में हुएबंटवाड़ा अनुसार ही राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा किया जावे एवं राजस्व नक्शे में तरमिम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्ट्रर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की समुचित तामिल हो जाने के बावजुद कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के एक एक पक्षीय बयान कलमबद्व किये गये एवं वादी का वाद दिनांक 27.01.2001 को स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित बंटवाड़ा तलब किया। एवं प्रस्तावित बंटवाड़ा प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2001 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी । न्यायालय की अन्तिम डिक्री दिनांक 06.06.2001 की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से ओदश 09 नियम 13 सी पी सी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2003 को स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 27.01.2001 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 06.06.2201 को निरस्त की गई। उक्त वाद के पश्चात खातेदार काश्तकार श्रीमति रूकमो देवी ने राजस्व मूल [illegible] संख्या 51/2007 अनवान रूकमो बनाम हरींगाराम [illegible] 07.06.2008 को डिक्री किया जाकर [illegible] तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रस्वावित बंटवाड़ा दिनांक 16.01.2009 प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 जारी की गई। अन्तिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 की पालन में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। जिससे पक्षकरान सहमत है। निर्णय डिक्री एवं राजस्व रेकर्ड की नकले साथ संलग्न है। हस्तगत वाद में प्रतिवादी की ओर से दिनांक 21.05.2014 को जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। एव दिनांक 29.04.2015 को तनकियात कायम किये गये। प्रकरण के विचाराधिन रहते वादी ने राजस्व कैम्प में यह निवेदन किया कि पक्षकारान के बिच आपसी समझाईस से राजीनामा हो चुका है इस कारण से राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे, लेकिन वादी ने कानून की जानकारी नही होने के कारण 27.06.2018 को वाद विड्रो कर दिया। वादी ने कानूनी सलाह के अनुसार वाद पुनः रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर वादी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2019 को स्वीकार कर वाद पुनः उसी नम्बर पर दर्ज किया गया। वाद के विचाराधिन रहते हुए पक्षकारान में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया । पक्षकारान के बिच हुए राजीनाामा अनुसार पूर्व में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 06.06.2001 से सहमत हो गये एवं मौके पर अन्तिम डिक्री दिनांक 06.06.2001 के अनुसार ही बंटवाड़ा कर दिया। लेकिन पक्षकारान को कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत नहीं कर सके। पक्षकारान न्यायालय द्वारा जारी अन्तिम डिक्री की पालना में अमल दरामद राजस्व रेकर्ड से आज भी सहमत है।

वाद के विचाराधिन के दौरान पक्षकारान के बिच हुए राजीनाामा अनुसार पूर्व में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 06.06.2001 से सहमत हो गये एवं मौके पर अन्तिम डिक्री दिनांक 06.06.2001 के अनुसार ही बंटवाड़ा होना जाहिर किया। पक्षकारान आपसी समझाईश अनुसार वादी खेराजराम का वाद डिक्री किये जाने एवं पूर्व में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.01.2001 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 06.06.2001 के अनुसार ही वाद का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। पक्षकरान ने लिखित में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान के अधिवक्ताओ ने पक्षकारान की पहचान की प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया व समझाया गया, पक्षकारान ने राजीनामा [illegible] स्वीकार करने पर राजीनामा शामिल मिसल किया गया। वकीलाय पक्षकारान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Scanned by CamScanner

बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया राजीनामा अनुसार वादी का वाद निस्तारित किया जाता हैं। राजीनामा डिक्री का अंग शुमार किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान खर्च अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल हो।

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

निर्णय दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner